261

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अ.ग.-3541-I-16

निगरानी प्र0क0 / जिला–जबलपुर

श्रीमती प्रीति कोष्टा पिता सुखनंदी कोष्टा
निवासी इन्द्राना प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. मझौली,
तहसील व जिला जबलपुर ------ आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जबलपुर म0प्र0 ----- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 10/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदश दिनांक 30–9–16 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2– यहकि, प्रश्नाधीन भूमि मौजा इन्द्राना प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. मझौली तहसील मझौली जिला जबलपुर सिथत भूमि खसरा नं. 50 रकबा 1.190 हैक्टर वर्तमान आवेदिका के पिता को रा0प्र0 53 दिनांक 10–1–1968 को प्राप्त हुई थी । पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर वारिसाना आधारपर आवेदिका एवं नीमाबाई, कमलाबाई, सविताबाई, आरतीबाई एवं सीताबाइ पिता सुखनंदी का नाम भ्झूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया ।

3– यहकि, उक्त भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त होने के कारण भूमि पर अहस्तांतरणीय प्रविष्टि दर्ज होने से आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी , सिहोरा के समक्ष आवेदन पेश किया गया कि पट्टा प्राप्त हुए 48 वर्ष से अधिक समय हो चुका है अतः खस़रा पांचसाला से अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित किया जाये ।

4– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदन तहसीलदार, मझौली को जांच प्रतिवेदन हेतु

प्रीति कोष्टा

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3541–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि मौजा इन्द्राना प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. मझौली तहसील मझौली स्थित भूमि खसरा नं. 50 रकबा 1.190 हैक्टर आवेदिका एवं अन्य सहखातेदारों के नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज है । उक्त भूमि आवेदिका के पिता स्व. सुखनंदी कोष्टा को दिनांक 10–1–1968 में प्रात हुई थी तब से उक्त भूमि शासकीय पट्टे की होने के कारण राजस्व अभिलेख में अहस्तांतरणीय दर्ज है, जबकि उक्त भूमि का पट्टा वर्ष 1968 में हुआ था जिसे 48 वर्ष हो चुके हैं अतः खसरा के कॉलम नं. 12 से अहस्तांतरणीय विलोपित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण नायब तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 1–7–16 द्वारा हस्तांतरणीय काटना उचित प्रतिवेदित करते हुए प्रकरण नुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभीय अधिकारी ने प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा यह मानते हुए	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कि अहस्तांतरणीय प्रविष्टि विलोपित किए जाने से मूल रूप से शासन की भूमि को बिना अनुमति के विक्रय किये जाने और अवैधानिक अंतरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, आवेदिका का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया है कि संहिता की धारा 158(3) के प्रावधानों के तहत आवेदकों को भूमिस्वामी अधिकारी प्राप्त हो चुके हैं, कलेक्टर द्वारा प्रकरण में गुणदोषों पर लेश मात्र विचार किए बिना आदेश पारित किया गया है । विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 3— उभपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि मौजा इन्द्राना प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. मझौती तहसील मझौली में स्थित भूमि खसरा नं. 50 रकबा 1.190 हैक्टर आवेदिका के पिता स्व. सुखनंदी कोष्टा को दिनांक 10—1—1968 में प्रात हुई थी पट्टा प्राप्ति के दिनांक से राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि आवेदिका के पिता सुखनंदी कोष्टा के नाम अंकित रही और सुखनंदी कोष्टा की मृत्यु के उपरांत वारिसाना आधार पर आवेदिका प्रीतिबाई एवं उसकी अन्य बहनों का नाम भूमि पर दर्ज किया गया है । संहिता की धारा 158(3) के प्रावधानों के तहत आवेदकों को भूमिस्वामी अधिकारी प्राप्त हो चुके । नायब तहसीलदार द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3541–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है कि उपरोक्त भूमि में इमारती लकड़ी के वृक्ष आदि नहीं है भूमि में सिंचाई स्त्रोत नहीं है तथा भूमि पर भवन आदि निर्माण नहीं है अत' अहस्तांतरणीय काटना उचित होगा । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि उन्होंने अपने आदेश में स्वयं यह स्वीकार किया है कि शासन से प्राप्त राजस्व अभिलेख में अहस्तांतरण प्रविष्टि विलोपित किए जाने से मूल रूप से शासन की भूमि को बिना अनुमति के विकय किए जाने और अवैधानिक अंतरण किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि इस प्रकरण में भूमि का पट्टा वर्ष 1968 में दिया गया था तथा पट्टाधारी को संहिता की धारा 158 में वर्ष 1992 में हुए संशोधन के फलस्वरूप भूमिस्वामी के अधिकार स्वतः प्राप्त हो चुके हैं । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि पर से आवेदक के नाम के सामने अंकित अहस्तांतरण शब्द की प्रविष्टि को विलोपित किये जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्र0क0 10/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30–9–16 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है, तहसीलदार, मझौली को यह निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकों	

R. 3541-5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों व अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के भूमिस्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि स्थित ग्राम इन्द्राना प.ह.नं. 38 रा.नि.मं. मझौली तहसील मझौली खसरा नं. 50 रकबा 1.190 हैक्टर पर से आवेदकों के नाम के सामने अंकित अहस्तांतरणीय शब्द की प्रविष्टि को राजस्व अभिलेखों (खसरे आदि से) विलोपित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	